

- वन्य वन / वनसिंह

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
---------------	-----------------------------------

रहेगी, जिनके प्रशासक को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जिन्हें न्यायिक में जरूर समस्या निवेद्या के रखा जाना सति आवश्यक व लाजमी है। हमने प्रशासक अधिकार की एकपत्रीय बहल सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध पत्रावली का अवलोकन किया तथा अस्थायी निवेद्या के तीनों बिन्दु उपर दृष्टा मात्रा, कृषि का संतुलन, संपूर्ण सति प्रशासक के पास में जती होती है। अतः प्रशासक के पास में एवं प्रशासक के बिन्दु अंतर्गत अस्थायी निवेद्या एवं आशय की जाती की जाती है कि अग्रिम तारीख परी तक प्रशासक प्रशासक के कर्म करत में बहल आवाजी नहीं करे एवं वास्तविक हालात में संपूर्ण रैड व भौतिक प्रशासक के अन्तर्गत रखे। पत्रावली में सामान्य करी होकर फिं 29/01/2021 को भेजा ही।

सहायक कलक्टर
एवं उपसंचालक अधिकारी
मोमलसगर (जिलापुर)

29/01/2021 पत्रावली भेजा। अर्धी वकील उपरिगत। प्रशासक

के सामने जाती होकर पत्रावली फिं 05/03/2021 को भेजा है।

05/02/2021 अर्धी की ओर के अर्धी अधिकार द्वारा उपरिगत।
वास्तविक पत्रावली वास्तविक प्रशासक के रखा गया जो कॉपी


रा.मु.जो.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
आह्वान जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

आफ खुदवापी स्वीकार किया गया एवं फावली
आफ दिनांक 05/02/2024 को पैरा करके का आदेश
दिया गया, तत्पश्चात् फावली आफ पैरा इर, उर्षी
अधिकार उपस्थित। उर्षी सं 2 प्रतौहरसिंह उपस्थित।
उर्षी अधिकार ने निवेदन किया कि नया काफ पैरा
करके के अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु उर्षी का
आदेशपर परिधे विद्रो खारिज फलाने। अतः उर्षी
का आदेशपर अंतर्गत धारा 212 RT Act का
नया काफ पैरा करके के अधिकारों को सुरक्षित रखने
हेतु परिधे विद्रो खारिज किया जाता है। फावली
फैतल सुनात होकर फल नया ली नया होकर लकिन

मोहरी
बिष्णु

दस्ता है)

 सहस्यक कलक्टर
 एवं उपखण्ड अधिकारी
 भोपालगढ़ (जोधपुर)